न्यायालय ए0सी0जे0एम0, खुर्जा बुलन्दशहर।
वाद संख्या:402/ 08
सरकार बनाम पिन्टू
धारा:– 294 भा.द.सं.
थाना:– खुर्जा नगर

दिनाँक:–17.07.2018

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर कोई उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया।

उक्त पुलिस थाना द्वारा दिनाँक 22.01.2008 को अभियुक्त पिन्टू के विरूद्ध चालान उक्त धारा के अधीन प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त के सम्बन्ध में प्रस्तुत मामला एक समन मामला है एवं दो वर्ष से कम सजा से दण्डनीय है। अतः स्पष्ट है कि समन मामले मे कई वर्षो तक कार्यवाहीं चलने के बावजूद पुलिस अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत करने मे असफल रही है। सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उपस्थित करने के सम्बन्ध में या उसके जीवित या मृत होने के सम्बन्ध में जानकारी की बाबत समुचित प्रयास किया जाना भी प्रतीत नही होता है।

प्रस्तुत पत्रावली मु0 अपराध सं0 37/2008 से सम्बन्धित है। कई वर्षो के पश्चात भी अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नही की जा सकी है, जब कि अभियुक्त की उपस्थिति हेतु निरन्तर प्रोसेस निर्गत किये जा रहे है। मामला समन विचारणीय है। इतने वर्षो के पश्चात वाद को आगे चलाने से किसी भी प्रकार से न्याय के उद्धेश्य की प्राप्ति नही होगी। अतः वाद की कार्यवाहीं को दं0प्र0सं0 की धारा 258 के अधीन समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद की कार्यवाहीं दं0प्र0सं0 की धारा 258 के अन्तर्गत समाप्त की जाती है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा
बुलन्दशहर।